

प्रस्ताव हेतु आमंत्रण: दिनांक 25.08.2017: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी संदर्भ दिनांक:- 25.08.2017

प्रस्ताव हेतु आमंत्रण - (आरएफपी)

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय एवं अधिकारियों के फ्लैट (विभिन्न स्थलों पर) में सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, नलसाजी, बढईगीरी एवं विविध कार्य हेतु अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी का चयन

परिसर विभाग

प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड

नई दिल्ली – 003 110

दूरभाष : 011-24649031-35, 011-39187160

ईमेल: [estate.helpdesk@nhb.org.in](mailto:estate.helpdesk@nhb.org.in), [Jagdish@nhb.org.in](mailto:Jagdish@nhb.org.in)

प्रस्ताव हेतु आमंत्रण: दिनांक 25.08.2017: राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रस्ताव हेतु आमंत्रण: दिनांक 25.08.2017: राष्ट्रीय आवास बैंक

<b>1. IMPORTANT BID DETAILS</b>		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	25.08.2017 से
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	05.09.2017
3.	बोली दस्तावेज संग्रह की अंतिम तिथि एवं समय	12.09.2017 / शाम 16:00
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति अंतिम तिथि एवं समय	15.09.2017 / शाम 15:00
5.	बोली खोलने की तिथि एवं समय	15.09.2017 / शाम 16:00
6.	बयाना जमा-राशि	50,000/- रू.
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, कोरए-5, पांचवा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,

		नई दिल्ली 110003 –
--	--	--------------------

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।

- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में स्थित है।

### 3. प्रयोजन:-

जंगपुरा एक्सटेंशन में 32 एनएचबी अधिकारियों के फ्लैट, वसंत कुंज, सेक्टर डी-6 में 20 एनएचबी अधिकारियों के फ्लैट, वसंत कुंज सेक्टर ए, पॉकेट बी में 09 फ्लैट, सुखदेव विहार में 2 अधिकारी फ्लैट एवं आईएचसी लोधी रोड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय परिसर में सिविल/इलेक्ट्रिकल/नलसाजी/बढ़ईगीरी एवं विविध कार्य हेतु अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

#### 4. कार्यक्षेत्र/प्रदेय एवं कार्य अपेक्षा:

4.1 जंगपुरा एक्सटेंशन में 32 एनएचबी अधिकारियों के फ्लैट, वसंत कुंज, सेक्टर डी-6 में 20 एनएचबी अधिकारियों के फ्लैट, वसंत कुंज सेक्टर ए, पॉकेट बी में 09 फ्लैट, सुखदेव विहार में 2 अधिकारी फ्लैट एवं आईएचसी लोधी रोड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय परिसर में (सिविल/इलेक्ट्रिकल/नलसाजी/बढ़ईगीरी एवं विविध आदि) अनुरक्षण कार्य हेतु सेवाएं उपलब्ध कराना।

कार्यालय एवं रिहायशी दोनों परिसरों से संबंधित कार्य क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा अनुलग्नक I में विस्तार से दी गई है एवं सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अनुमोदित सामग्री की सूची अनुलग्नक II में दी गई है।

#### 4.2 कार्मिकों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

सेवा प्रदाता को सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु तैनात किए जाने वाले कार्मिक नीचे दिए अनुसार न्यूनतम योग्यता को पूरा करते हों:-

- (i) एक तकनीकी तौर पर योग्य अधिमानतः सिविल इंजीनयरिंग में डिप्लोमा/आईआईटी होल्डर एवं एक बेहतर अनुभवी सुपरवाइजर को सप्ताह में छह दिन पूरे समय तैनात करने की जरूरत होगी। उस व्यक्ति के पास ई-मेल

- आईडी एवं मोबाइल फोन होना चाहिए जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी प्रकार के कार्य या बैंक की जरूरत के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक बेहतर योग्य अधिमानतः स्नातक जो कंप्यूटर का बेहतर ज्ञान रखता हो सह हेल्पडेस्क सहायक को सप्ताह में छह दिन पूरे समय तैनात करने की जरूरत होगी। वह व्यक्ति राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों की शिकायतों पर ध्यान देगा और तत्काल समय पर इसे सुपरवाइजर/सफल बोलीदाता को अग्रेषित करेगा। उस व्यक्ति के पास ई-मेल आईडी एवं मोबाइल फोन होना चाहिए जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iii) कार्य परिसर के लिए एक आईटीआई अनुभवी इलेक्ट्रिशियन को सप्ताह में छह दिन तैनात रखना होगा। मोबाइल फोन अनिवार्य है जिसके लिए बैंक को व्यय का भुगतान नहीं करेगा।
- (iv) जंगपुरा एवं वसंतकुंज दोनों फ्लैटों के लिए एक- एक आईटीआई अनुभवी इलेक्ट्रिशियन को सप्ताह में छह दिन रहना होगा। और उनके पास मोबाइल फोन होना चाहिए जिसके लिए बैंक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि जरूरत के आधार पर उसे सुखदेव विहार फ्लैट का भी दौरा करना पड़ेगा।

- (v) एक अनुभवी बढ़ई कम से कम सप्ताह में तीन दिन जंगपुरा फ्लैट के लिए एवं सप्ताह में कम से कम तीन दिन वसंत कुंज फ्लैट के लिए। हालांकि जरूरत के आधार पर उसे सुखदेव विहार फ्लैट का भी दौरा करना पड़ेगा।
- (vi) राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय परिसर के लिए सप्ताह में छह दिन फुल टाइम एक अनुभवी बढ़ई। आपातकालीन स्थिति में उसे अन्य केंद्रों में तैनात किया/भेजा जा सकता है।
- (vii) मांग पर एक अनुभवी मिस्त्री और जंगपुरा फ्लैट एवं वसंत कुंज/सुखदेव विहार फ्लैटों के लिए एक माह में कम से कम दस दिन या जैसे और जहां जरूरत हो।
- (viii) जंगपुरा फ्लैट के सप्ताह में छह दिन के लिए एक फुलटाइम अनुभवी बढ़ई और वसंत कुंज फ्लैट के सप्ताह में छह दिन के लिए एक फुलटाइम अनुभवी बढ़ई। हालांकि जरूरत के आधार पर उसे सुखदेव विहार फ्लैट का भी दौरा करना पड़ेगा।
- (ix) दिए गए निर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर जरूरत के अनुसार जरूरी फर्नीचर की सफाई/शिफ्टिंग सहित जंगपुरा फ्लैट, वसंत कुंज फ्लैट एवं बैंक परिसर प्रत्येक के लिए सप्ताह में कम से कम छह दिन के लिए फुलटाइम कुल तीन हेल्पर जो अन्य कुशल कामगारों की सहायता करेंगे एवं समय-समय पर उन्हें अन्य विविध कार्य करेंगे।
- (x) राष्ट्रीय आवास बैंक परिसरों एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए जंगपुरा एक्सटेंशन में बागवानी का काम पूरा करने के लिए सप्ताह में 6 दिन के लिए एक अनुभवी

माली। वह कॉम्प्लैक्स ग्रास ट्रिंमर सहित पेड़ की छंटाई के सभी जरूरी औजारों की व्यवस्था भी करेंगे।

- (xi) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों के रोस्टर ऐसे तैयार होने चाहिए ताकि अपेक्षित सेवाएं बैंक को सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध हों।

### 5. संविदा की अवधि:

संविदा तीन वर्षों के लिए वैध होगा जोकि बैंक द्वारा सेवा प्रदाता के कार्य निष्पादन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होगा।

एलओए स्वीकृति की तिथि या ऐसी कोई तिथि जो राष्ट्रीय द्वारा तय की जाए संविदा प्रारंभ करने की तारीख होगी।

### टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों या सेवाओं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, वे सही तौर पर कार्य प्रदर्शन हेतु जरूरी या उपयुक्त हैं और उन्हें इस आरएफपी के तहत अंतर्निहित और समाविष्ट समझा जाएगा और वेंडर का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और वेंडर के

प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

## 6. बोलीदाताओं को अनुदेश

### 6.1 सामान्य

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संपूर्ण अधिकार में पात्र सेवा प्रदाता को शॉर्ट लिस्ट करने/चयन करने हेतु प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज में निर्दिष्ट चयन मापदंड को लागू कर सकता है।
- आरएफपी के लिए रा.आ. बैंक को प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने इस बोली/ आरएफपी की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

बोलीदाताओं के लिए यह अपेक्षित है कि निविदा से संबंधित सभी पत्राचारों को

नीचे दिए गए संपर्क व्यक्ति के माध्यम से सूचित करें:

श्री जगदीश	श्री विशाल गोयल,
पद: उप प्रबंधक	पद: उप महाप्रबंधक
(संपर्क ब्यौरा): 011-24629031-35 (1138)	(संपर्क ब्यौरा): 011-24649031-35(1037)

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 04.00 बजे के बीच बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- रा.आ.बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी उत्तर में सुधार या स्पष्ट करने के लिए निविदा/आरएफपी के बंद होने के बाद, किसी भी बोलीदाता के साथ) या एक साथ एक से अधिक बोलीदाता के साथ( चर्चा या बातचीत में शामिल हो सकता है।
- बोलीदाता भारत में किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

## 6.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक xx.xx.2017 को अथवा उससे पूर्व ईमेल द्वारा अथवा डॉक उपरोक्त उल्लिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं का प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

### 6.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ. बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

### 6.4 निविदा/आरएफपी का अनंतरणीय

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज अनंतरणीय नहीं है।

### 6.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित

हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 6.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी

नहीं होगी।

- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
  - रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्कैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 6.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे

#### 6.8 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ. बैंक, इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक, आरएफपी में निर्दिष्ट सूची में से एक या अधिक स्थान/स्थानों को जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 6.9 बोली में शामिल दस्तावेज (कृपया निर्देशों का पालन करें, यदि कोई है, तो प्रारूप

में अलग-अलग निर्धारित किया गया है)

1. अनुलग्नक I में दिए ब्यौरा अनुसार कार्य क्षेत्र;
2. अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट अनुमोदित सामग्रियों की सूची;
3. अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट रखे जाने वाले रजिस्ट्रों की सूची;
4. अनुलग्नक IV में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
5. अनुलग्नक V में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन वक्तव्य घोषणा;
6. अनुलग्नक VI में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में वाणिज्यिक बोली कवर पत्र
7. अनुलग्नक VII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल/लिपिक कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी;
8. अनुलग्नक VIII के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली वाणिज्यिक प्रस्ताव
9. अनुलग्नक IX में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
10. अनुलग्नक X में प्रारूप में संकल्प मैट्रिक्स;

बोलीदाता को अंतिम आय कर निपटान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बिक्री कर विभाग के कार्य संविदा प्रकोष्ठ द्वारा जारी कर निपटान प्रमाणपत्र, यदि जरूरत हो।

**टिप्पण: ईएमडी राशि के बिना बोलीयां अस्वीकार कर दी जाएगी।**

### 6.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

### 6.11 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

नीचे दिए ब्यौरा के अनुसार उपयुक्त माध्यम में बोली के साथ 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) की बयाना जमा राशि दिया जाएगा।

खाता ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए5, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक

प्रस्ताव हेतु आमंत्रण: दिनांक 25.08.2017: राष्ट्रीय आवास बैंक

4	लाभार्थी की बैंक शाखा का पता	स्कॉप कॉम्प्लेक्स शाखा, भूतल, कोर6-, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफसीएस कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005
9.	स्विफ्ट कोड:	_____

क भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए ; इसके अभाव में बोली को आगे के मूल्यांकन के लिए नहीं माना जा सकता है। बोलीदाताओं को अनुलग्नक-IX में संलग्नक अधिदेश प्रपत्र को भी प्रस्तुत करना होगा।

ख उचित रूप और तरीके में ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी और अस्वीकार माना जाएगा।

ग ईएमडी से छूट के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ यहाँ उपलब्ध या उचित रूप में निर्णायक करार के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर या कार्य/संविदा सौंपने के 30 दिन से पहले सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

ङ सफल बोलीदाता की ईएमडी बैंक द्वारा रखा जाएगा एवं 12 महीने के लिए स्वीकृत बोली के 2% आरंभिक प्रतिभूति जमा राशि के बदल दिया जाएगा। शेष राशि सफल बोलीदाता द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर बैंक के खाते में जमा किया जाएगा।

च ईएमडी जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलीयां वापस ले लेता है।
- यदि बोलीदाता कोई बयान देता है या किसी भी फोर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण हो।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता काम शुरू होने के 45 दिनों के अंदर संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल होता है।

#### 6.12 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित अन्य शर्तें एवं कीमत को वाणिज्यिक बोली खुलने की तारीख से 90 दिनों की स्वीकृती अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

अपवादी परिस्थितियों में रा.आ. बैंक वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए बोलीदाता की मांग पर सहमती दे सकता है। अनुरोध और उत्तर लिखित में होगा। बोली प्रदान की गई बोली प्रतिभूति भी बढ़ाई जाएगी।

#### 6.13 प्रारूप और बोलियों पर हस्ताक्षर

यहां पर बोली को "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया गया है। मूल बोली अमिट स्याही में टाइप या लिखी जाएगी और बोलीदाता को संविदा में बनाए रखने के लिए बोलीदाता या व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोलियों के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।

#### 6.14 बोलियों की मुहरबंदी और चिह्नंकन

- नीचे दिए गए पते पर लिफाफा रा:जाएगा किया संबोधित को बैंक .आ.  
उप महाप्रबंधक , परिसर  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर ए5, तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड  
नई दिल्ली 110003 -
- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ पता और नाम इंगित करना चाहिए।

- बोलीदाता वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को मुहरबंद करेंगे।
- लिफाफा नॉन विंडो वाली होनी चाहिए और लिफाफे के ऊपर “राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय एवं अधिकारियों के फ्लैट (विभिन्न स्थलों पर) में सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, नलसाजी, बढईगीरी एवं विविध कार्य हेतु अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी का चयन हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव होना लिखा ” चाहिए।
- यदि लिफाफे को मुहरबंद और चिह्नित नहीं किया जाता है तो, रा बोली बैंक .आ. को गलत स्थान पर रखने या उसको समय से पहले खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- ठीक से मुहरबंद न हुई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी अधिकार के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को दर/राशि अंकों के साथ-साथ शब्दों में उद्धृत करना चाहिए। यदि राशि शब्दों में या अंकों में उद्धृत न हो तो निविदा को अवैध माना जाएगा।

6.15 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा

- बोली राष्ट्रीय आवास बैंक को 15/09/2017 को शाम 15:00 बजे तक निर्दिष्ट पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि बोली शाम 15:00 बजे के बाद प्राप्त होती है तो उसे बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।
- रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने पर, बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में बोलियां अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

#### 6.16 विलंबित बोलीयां

रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

#### 6.17 बोली में सुधार और/या आहरण

- एक बोलीदाता केवल एक ही प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोली प्रस्तुत होने के बाद सुधार नहीं जा सकती है।
- बैंक को कोई या सभी निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

#### 6.18 रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोलना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलीदाता प्रतिनिधि की उपस्थिति में जो निर्दिष्ट तिथि पर बैठक में भाग लेंगे, राजाएंगी। खोली बोलियां द्वारा समिति बैंक .आ.
- **बोलियों खोलने का समय, स्थान एवं तिथि:** इस आरएफपी दस्तावेज के खंड 1 में दिए ब्यौरे के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में पांचवें तल पर मीटिंग रूम।
- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी होना या नहीं होना एवं ऐसी अन्य जानकारी, वाणिज्यिक बोली खोलते समय राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकाधिकार पर घोषित करेगा।

#### 6.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, रापर विवेकाधिकर अपने बैंक .आ., उनकी बोली के स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता से पूछ सकती है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं उत्तर लिखित सार के बोली और होगा में (मेल-ई/फैक्स), वांछित मांग, प्रस्ताव या अनुज्ञप्ता में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

#### 6.20 प्रारंभिक जांच

- रा.आ बैंक बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों को ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित किया गया है; सहायक कागजात / दस्तावेज संलग्न हैं और बोली सामान्यतः क्रम में हैं।
- रा.आ बैंक, अपने एकमात्र विवेकाधिकर से, बोली में किसी भी मामूली दुर्बलता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता है, जो किसी सामग्री विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता के रिश्तेदार के पद को विघात या प्रभावित नहीं करती है।
- रा.आ बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए अंतिम है।

#### 6.21 प्रस्तावित स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक प्रलेखन और प्रस्ताव रा.आ. बैंक की संपत्ती बन जाएगी जब तक कि रा.आ. बैंक लिखित में बोलीदाताओं के विशिष्ट आवेदन/आवेदनों से सहमत नहीं है कि प्रस्ताव और प्रलेखन वापस या नष्ट हो जाएंगे।

#### 6.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ. बैंक की दिशा / पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत शिकायत में केवल अपनी ही सेवा / समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा।

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि रिहायशी कॉलोनियों एवं कार्यालय परिसर के सभी स्थलों का अध्ययन, निगरानी एवं जांच कर लें एवं मौजूदा कार्य स्थल होलात, शामिल कार्य की सीमा, क्षेत्र या होलात जिसके अंतर्गत कार्य निरूपादित किए जाने की जरूरत है, समय सीमा एवं बनाए रखने के लिए जरूरी दस्तावेजीकरण को पूरा करें। स्थल हालातों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना की कमी के लिए अतिरिक्त भुगतान दावा को बैंक द्वारा स्वीकृत इस निविदा के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

#### 6.23 मूल्य संरचना एवं परि वर्तन

बोलीदाता को निम्न की कीमत उद्धृत करनी चाहिए

(1) अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने हेतु तैनात किए जाने वाले अपने कार्मिकों को दिए जाने वाले सेवा प्रभार प्रतिशत में (न्यूनतम मजदूरी/भुगतान एवं अन्य प्रभार के कुल का)

(2) स्थिर सेवा घटक एवं

(3) अंतिम कोट (क्र.सं. 1 एवं 2 का जोड़)

अनुलग्नक VIII में उपलब्ध प्रारूप में इस आरफपी के अंतर्गत। किसी प्रकार का विचलन होने पर बोली निरस्त किया जा सकता है। वाणिज्यिक बोली के अनुसार उद्धृत किए गए के अलावा कोई विकल्प नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प दिए गए हैं, बोली अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा। सांविधिक संशोधन के अनुसार मूल रूप में केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

#### 6.24 सपोर्ट सेवाओं की यथासमय उपलब्धता

सेवा प्रदाता के पास राष्ट्रीय आवास बैंक को जहां और जब जरूरत हो सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध करने हेतु दिल्ली/एनसीआर में उपयुक्त एवं पर्याप्त सहायता तंत्र होनी चाहिए।

#### 6.25 बोली खोलना एवं मूल्यांकन

बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थिति हैं अपनी उपस्थिति के साक्ष्य के रूप

में रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि बोली खोलने की निर्धारित तारीख बैंक के लिए अवकाश घोषित होती है तो बोलियां अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय एवं स्थान पर खोली जाएंगी।

चयनित बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी तकनीकी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

#### 6.26 वाणिज्यिक बोली के मूल्यांकन का आधार:

राशि अनुलग्नक VIII में उपलब्ध वाणिज्यिक बोली प्रारूप में कोट होनी चाहिए। बैंक एल-1 बोलीदाता के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित सूत्र अपनाएगा।

एल1 मापदंड-एल1=0.4xपहला वर्ष दर +0.35 x दूसरा वर्ष दर +0.25 xतीसरा वर्ष दर

अंक और शब्दों में विसंगति के मामले में शब्दों में राशि मान्य होगी। विभिन्न बोलीदाताओं के बीच किसी प्रकार के टाई होने पर प्रत्येक ऐसे बोलीदाता के नवीनतम वार्षिक टर्नओवर आंकड़े पर विचार किया जाएगा एवं अधिकतम वार्षिक टर्नओवर वाले बोलीदाता को उनके बीच निचले स्तर बोली बोलीदाता के रूप में

चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद वालों को तदनुसार रैंक दिया जाएगा।

#### 6.27 संशोधन एवं आहरण

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि केवल बोली पूर्व बैठक के पश्चात ही बोलियों को प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी भी बोलीदाता को बोली के वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि पता चले कि बोलीदाता एक सफल बोलीदाता है।

#### 6.28 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

#### 6.29 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों

के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाता को स्पष्ट तौर पर यह भी वर्णित करना होगा किस संबंध में और सेवा एवं उपकरण किस हद तक विनिर्देश एवं जरूरतों में दिए गए विनिर्देशों से अलग हैं।

### 6.30 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 6.31 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से संविदा प्रदान होने तक इस बोली से संबंधित किसी भी मामले पर रा.आ.बैंक या इसके सेवा प्रदाताओं के सार्थ संपर्क करना मना है। बोलीदाता की ओर से बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने या संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करने पर बोली निरस्त किया जा सकता है।

### 6.32 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसीलिए यह

आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

#### 6.33 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

#### 6.34 कानूनों का अनुपालन

क सेवा प्रदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को

सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख सेवा प्रदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके

कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड,

ग यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 6.35 गलत/अधूरा कथन

यदि बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई कथन/घोषणा बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण या संविदा के किसी भी चरण में बोली/निविदा स्वीकार होने पर गलत या अधूरा साबित होता है तो उनकी बोली/निविदा/संविदा को निम्नलिखित के अतिरिक्त में निरस्त कर दिया जाएगा:

- क निविदा चरण में यदि ऐसा कथन पाया जाता है तो उनकी कुल बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी एवं निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- ख संविदा चरण में यदि ऐसे कथन पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

## 7. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों को नोट करें।

### 7.1 प्रभार/मूल्य

- क बोलीदाता क्षरा कोट किए गए प्रभार/मूल्य में सभी प्रकार की लागत शामिल होनी चाहिए।
- ख प्रभार/कीमत 3 वर्ष की संपूर्ण अवधि हेतु वैध होनी चाहिए।
- ग कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी लागू कर/इयूटी/देयता, परिवहन, बीमा आदि शामिल हो जानी चाहिए।
- घ बोलीदाता द्वारा कोट की गई कीमत संविदा के बोलीदाता के कार्य निष्पादन अर्थात् 3 वर्ष की अवधि के लिए स्थिर होनी चाहिए और समय-समय पर दिल्ली सरकार/संबंधित राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में बदलाव के अलावा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जरूरी हो।
- ङ समायोज्य कीमत कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली अनुत्तरदायी मानी जाएगी और निरस्त कर दी जाएगी।

च किसी भी भावी जरूरत के लिए, आदेश वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित दर पर दी जाएगी। आदेश स्वीकार करने में विफल होन पर राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेक पर इस आरएफपी/संविदा के जुर्मान होगा।

## 7.2 भुगतान शर्तें

कोई भी भुगतान एसएलए (अनुलग्नक XI) को हस्ताक्षर के बाद ही जारी की जाएगी। भुगतान निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार मासिक आधार पर की जाएगी।

भुगतान शर्तें निम्नानुसार हैं:

सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के साथ बिल को मासिक आधार पर अगले महीने के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता भी बिलिंग अवधि के महीनों के दौरान काम के निष्पादन के दौरान निर्धारित सामग्री के संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक अलग शीट संलग्न करेगा।

सभी भुगतान ईसीएस के माध्यम से महीने के पूरा होने के बाद किए जाएंगे और प्रचलित नियमों के अनुसार स्रोतों पर कर घटाए जाएंगे। किसी उचित समय में सफल बोलीदाता द्वारा उचित मुद्रांकित रसीद देने की आवश्यकता है।

सभी मासिक बिलों के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उनके कर्मियों को मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान की जा रही है और ईपीएफ, ईएसआई आदि के तहत आवश्यक कटौती वैधानिक आवश्यकता के मुताबिक भेजी गई है और उचित अधिकारियों के साथ जमा की गई है, ईपीएफ / ईएसआई आदि के लिए किए गए भुगतान / योगदानों के लिए चालान की प्रति के साथ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंक संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान पर कार्रवाई करेगा कि सेवा द्वारा नियोजित कर्मियों को वेतन का भुगतान किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार प्रदाता और आवश्यक योगदान की ऑनलाइन जांच करने के बाद ईपीएफ और ईएसआई के लिए किया गया है। आवश्यकता के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ मासिक बिल जमा करने पर, इस विषय पर आयकर अधिनियम / नियमों के प्रावधान के अनुसार इस तरह के सत्यापन और लागू करों की कटौती के बाद बैंक द्वारा भुगतान जारी किया जाएगा।

### 7.3 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू टंड और टीडीएस /अन्य करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

प्रस्ताव हेतु आमंत्रण: दिनांक 25.08.2017: राष्ट्रीय आवास बैंक

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New